

Form No. III

फर्द अहकाम

(नियम 26)

ज अदालत..... उपखण्ड अधिकारी मुकाम..... रामगंजमण्डी, जिला कोटा (राज.)

गौरीशंकर बनाम पं.का.ल.
 नम्बर मुकदमा 136 L.R. Pt 1956 नं. 03 सन्. 2020

तारीख हुकम	हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुकम की तामील में जारी हुए
3 ¹ / ₂₀	<p>पं.का.ल. वरिणीनदा रामगंजमण्डी के पत्रांक 2/21/20 दि. 2.7.20 के द्वारा लेन पर पं.का.ल. दस्त रजिस्ट्रार है।</p> <p>उक्त का अवलोकन किया पश्चात् गौरीशंकर बनाम पं.का.ल. खाफा को सुना गया उक्त में हितवद् पश्चात् बाँटित उक्त पर एकपत्र है</p> <p>वै. भी उक्त में किसी प्रकार का राजस्व अभिलेख में फेर-फाल या नवीन खर्च तय नहीं किया जाये है धर्म के पिला का नाम मरज कान्हा के स्थान पर कन्हैयालाल - सम्मान लूचक दस्त कान्हा का ही अनुलेख चला गया है</p> <p>राजस्थान श. राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 136 में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग कला</p>	

(Handwritten signature)

तारीख
हुकम

हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज

नम्बर व
अहकाम
हुकम को
में जारी

दुर्घ उक्त सम्मानजनक नाम दर्ज
किया जाना उचित प्रतीत होता है
अतः गुणावयुक्त के आधार पर
एक पत्र लीकाल किया जाकर यह
आदेश दिया जाता है, कि ग्राम
सौलली की भूमि ख. नं. 227 कबा
0.37 है तथा ग्राम खैराबाद की भूमि
ख. नं. 3146 कबा 0.97 है. पर पुरबी
गौरीशंकर की वलियत कान्हा के
स्थान पर कान्हा उर्फ कन्हैयालाल
दर्ज कर राजस्व रिकार्ड में अमक
गामड किया जावे।
जमावकी की निर्णित में गठना
की जाकर एविलर लेख भंडार ही
निर्णय आज दिनांक 3.7.2020
को भेटे द्वारा लिखवाया जाकर
विशुद्ध न्यायालय में सुनाया।


(चिमनलाल मीणा)
R.A.S.